

**बिहार लोक सेवा आयोग**  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001  
**66वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा**

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 23/नियुक्ति-01-01/2017 सा.प्र.-3511, पटना-15, दिनांक 06.03.2020 द्वारा 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को संयुक्त परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने हेतु सरकार के विभिन्न विभागों से अलग-अलग सेवाओं/संवर्गों के लिए रिक्तियाँ (आरक्षण कोटिवार) प्राप्त हुई हैं, जिन्हें निम्नांकित सारणी 01 में दर्शायी गयी है:-

**सारणी - 01**

क्र. सं.	विभाग/पद का नाम	वेतनमान	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ							कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नतीनी	दिव्यांग	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र
			अनारक्षित (01)	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जनजाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्गों की महिला (06)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)					
महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या														
1.	पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	Level -9	11	05	00	09	05	01	03	34	01	OH-01 MD-01	20 वर्ष	अनारक्षित (पुरुष)
			04	01	00	01	01		01	08				- 37 वर्ष
2.	जिला समादेष्टा, गृह विभाग (विशेष शाखा)	Level -9	01	01	00	00	00	00	00	02	00	00	20 वर्ष	अनारक्षित (महिला),
			01	00	00	00	00		00	01				पिछड़ा वर्ग
3.	काराधीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षालय, गृह विभाग (कारा)	Level -9	00	00	01	02	00	00	00	03	00	00	22 वर्ष	एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग
			00	00	00	00	00		00	00				(पुरुष एवं महिला)
4.	राज्य-कर-सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर-विभाग	Level -9	04	00	00	06	00	00	01	11	00	00	22 वर्ष	- 40 वर्ष
			01	00	00	01	00		00	02				
5.	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग	Level -9	02	00	00	00	00	00	00	02	00	00	22 वर्ष	
			00	00	00	00	00		00	00				
6.	नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी (राजपत्रित), श्रम संसाधन विभाग	Level -9	02	02	00	00	00	00	01	05	00	00	22 वर्ष	अनुसूचित जाति एवं
			00	01	00	00	00		00	01				अनुसूचित जनजाति
7.	ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	Level -9	01	02	00	01	01	00	00	05	00	00	22 वर्ष	(पुरुष एवं महिला)
			00	00	00	00	00		00	00				- 42 वर्ष
8.	बिहार प्रोबेशन सेवा (प्रोबेशन पदाधिकारी), गृह विभाग(कारा)	Level -9	08	03	00	03	03	01	01	19	01	VI-01 DD-01 MD-01	21 वर्ष	
			03	01	00	01	01		00	06		VI-01	21 वर्ष	
9.	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, परिवहन विभाग	Level -7	11	05	01	05	04	01	03	30	01	VI-01	21 वर्ष	
			04	02	00	02	01		01	10				
10.	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग	Level -7	03	01	01	06	03	00	01	15	00	OH-01	21 वर्ष	
			01	00	00	01	00		00	02				
11.	आपूर्ति निरीक्षक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	Level -7	65	25	00	28	19	04	16	157	03	VI-01 DD-02 OH-02 MD-01	21 वर्ष	
			22	09	00	11	06		05	53				
12.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (अराजपत्रित), श्रम संसाधन विभाग	Level -7	30	09	00	05	02	00	05	51	01	DD-01 OH-01	21 वर्ष	
			07	03	00	02	01		01	14				
13.	राजस्व अधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	Level -7	29	16	02	05	02	05	07	66	01	VI-01 OH-01 MD-01	21 वर्ष	
			09	04	00	02	01		02	18				
14.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (बिहार पंचायत सेवा), पंचायती राज विभाग	Level -7	66	25	01	36	14	04	16	162	03	VI-02 DD-02 OH-01 MD-01	21 वर्ष	
			23	10	00	12	04		05	54				
<b>Total :</b>			<b>233</b>	<b>94</b>	<b>06</b>	<b>106</b>	<b>53</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>562</b>	<b>11</b>	VI-06 DD-06 OH-07 MD-05		
			<b>75</b>	<b>31</b>	<b>00</b>	<b>33</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>169</b>				

- नोट:- I. दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:- VI - दृष्टि दिव्यांग, DD - मूक बधिर दिव्यांग, OH - चलन दिव्यांग, MD - मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग
- II. उपर्युक्त वर्णित सेवाओं/संवर्गों में रिक्त पदों की संख्या अधियाची विभाग से प्राप्त/संशोधन होने पर घट-बढ़ सकती है।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।
2. शैक्षिक योग्यता:-  
ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा।

### 3. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी (दिव्यांग/अनारक्षित कोटि की महिला को छोड़कर) को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-  
 (a) जाति प्रमाण-पत्र  
 (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र  
 (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।  
 पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।  
 (C) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।  
 (D) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षण कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षण कोटि	ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि	कोटि कोड
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)	SC	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)	ST	03
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

- (v) (क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 13062, दिनांक-12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक - 3433, दिनांक 09.10.2007 एवं पत्रांक - 9529, दिनांक 01.07.2015 एवं संकल्प संख्या - 13062, दिनांक 12.10.2017 के अनुसार दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले परीक्षार्थियों, Candidate with permanent loss of limbs who are unable to write या सेरिब्रल पॉल्सी से ग्रसित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हो, तथा जिनकी निशक्तता 40% या उससे अधिक है, को एक श्रुतिलेखक प्राप्त करने का प्रावधान है।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उनके अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) की तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यह अपेक्षित है कि आवेदन भरने के समय आवेदक के पास संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध हो।

4. उम्र सीमा:- दिनांक 01.08.2020 को न्यूनतम उम्र सेवावार, 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष। सारणी - 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 1 एवं 2 के लिए 20 वर्ष, क्रम संख्या 3, 4, 5, 6 एवं 7 की सेवाओं के लिए 22 वर्ष तथा क्रम संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14 की सेवाओं के लिए 21 वर्ष होना आवश्यक है।

- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है।
- (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iv) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कंडिका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं।
- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्त कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (vi) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त-समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्त कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।
- (vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।
- (viii) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- (ix) उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही-सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा।

#### 5. शारीरिक क्षमता :

बिहार पुलिस सेवा/जिला समादेष्टा के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप, बिना फुलाये, 32 (बत्तीस) इंच होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप, बिना फुलाये, 31 (एकतीस) इंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए।

#### 6. मेधा सूची :

उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों को भरने के निमित्त, संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा के पश्चात् अन्तिम परीक्षाफल सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत/प्रकाशित किया जायेगा। संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के पश्चात् अन्तर्वीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को अन्तर्वीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अन्तिम परीक्षाफल हेतु बनायी जानेवाली मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

#### 7. शुल्क :-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए— 600/- (छः सौ) रूपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए— 150/- (एक सौ पचास) रूपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए— 150/- (एक सौ पचास) रूपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए— 150/- (एक सौ पचास) रूपये
- (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए— 600/- (छः सौ) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

### 8. प्रारम्भिक परीक्षा :-

- (i) संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।
  - (ii) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।
  - (iii) इस प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
9. (i) प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा एवं इस संबंध में सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क (मुख्य परीक्षा हेतु) विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा।
- (iii) मुख्य परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषय एवं कोड निम्नवत है -

क्रम संख्या	विषय	Subject	विषय कोड
1.	कृषि विज्ञान	Agriculture	04
2.	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	Animal Husbandry & Veterinary Science	05
3.	मानव विज्ञान	Anthropology	06
4.	वनस्पति विज्ञान	Botany	07
5.	रसायन विज्ञान	Chemistry	08
6.	सिविल इंजीनियरिंग	Civil Engineering	09
7.	वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	Commerce & Accountancy	10
8.	अर्थशास्त्र	Economics	11
9.	विद्युत इंजीनियरिंग	Electrical Engineering	12
10.	भूगोल	Geography	13
11.	भू-विज्ञान	Geology	14
12.	इतिहास	History	15
13.	श्रम एवं समाज कल्याण	Labour and Social Welfare	16
14.	विधि	Law	17
15.	प्रबन्ध	Management	18
16.	गणित	Mathematics	19
17.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	Mechanical Engineering	20
18.	दर्शन शास्त्र	Philosophy	21
19.	भौतिकी	Physics	22
20.	राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	Political Science And International Relations	23
21.	मनोविज्ञान	Psychology	24
22.	लोक प्रशासन	Public Administration	25
23.	समाज शास्त्र	Sociology	26
24.	सांख्यिकी	Statistics	27
25.	प्राणी विज्ञान	Zoology	28
26.	हिन्दी भाषा और साहित्य	Hindi Language & Literature	29
27.	अंग्रेजी भाषा और साहित्य	English Language & Literature	30
28.	उर्दू भाषा और साहित्य	Urdu Language & Literature	31
29.	बंगला भाषा और साहित्य	Bangla Language & Literature	32
30.	संस्कृत भाषा और साहित्य	Sanskrit Language & Literature	33
31.	फारसी भाषा और साहित्य	Persian Language & Literature	34
32.	अरबी भाषा और साहित्य	Arabic Language & Literature	35
33.	पाली भाषा और साहित्य	Pali Language & Literature	36
34.	मैथिली भाषा और साहित्य	Maithili Language & Literature	37

उम्मीदवार को उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा।

10. जैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
12. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-

(i)

ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 28.09.2020
ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 20.10.2020

- (ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- (iii) उम्मीदवार, नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित नहीं करेंगे।
- (v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाईन भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (viii) दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले दिव्यांग अभ्यर्थी, Candidate with permanent loss of limbs who are unable to write या सिरिब्रल पॉल्सी से ग्रसित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हैं तथा जिनकी निशक्तता 40% या उससे अधिक है, द्वारा ऑनलाईन आवेदन की कंडिका 3(i) में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को रंगने के पश्चात ही उन्हें श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ix) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (x) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

13. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (iii) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- (iv) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
- (v) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

- (vi) उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निदेश आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पश्चात किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- (vii) आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
14. इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम (Syllabus) आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।

16.9.20  
संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना